

29 $\frac{02}{24}$

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थना पत्र से
प्रारम्भिक मूल दावा कारिज ले चुका है जिसे
यह प्रार्थना पत्र अब आगे चलने योग्य
नहीं है। अतः इसी तद पर कारिज किया
जाता है।

पत्रावली निजम में शुमार की जाकर
नम्बर से कर ले तथा तारीख तकमिल
होकर कारिज देफत हो।

09 तारीख उपखण्ड अधिकारी